पत्रांक–03 / स्था०रा०से०(स्थानांतरण–पदस्थापन)–86 / 2025–515 (3) / रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।

प्रेषक,

आजीव वत्सराज,
अपर सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांकः– 09/03/2026

विषय :– दिनांक–09.03.2026 (सोमवार) से राजस्व पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित सामूहिक अवकाश (हड़ताल) पर जाने के आलोक में वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–23(3) / रा० दिनांक–08.01.2026, पत्रांक–187(3)रा० दिनांक–02.02.2026 एवं 226 (सी०) दिनांक–06.03.2026।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया संदर्भ लिया जाए। पूर्व की भाँति सामूहिक अवकाश (हड़ताल) में जाने वाले सभी राजस्व पदाधिकारी / अंचल अधिकारी से 1.वाहन, 2.डोंगल एवं लैपटॉप, 3. कार्यालय की अलमीरा / बक्से में संधारित राजस्व अभिलेखों की चाभी, जो भी हो, प्राप्त कर लिया जाए।

2. सभी अंचल में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ग्रामीण विकास पदाधिकारी / प्रखंड विकास पदाधिकारी / प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को अंचलाधिकारी / राजस्व अधिकारी का प्रभार दिया जाए।

3. अपने–अपने जिले में अगर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था जिससे राजस्व प्रशासन बेहतर एवं सुचारू रूप से चलाया जा सके, इस हेतु वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने हेतु आप स्वतंत्र होंगे तथा इससे मुख्यालय को संसूचित करेंगे।

4. विभागीय पत्रांक–23(3) / रा० दिनांक–08.01.2026 की कंडिका–(ड़) को शिथिल माना जाए।

आप अवगत है कि मार्च, 2026 के महीने में राजस्व के कई महत्वपूर्ण अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसे पूर्ण किया जाना आवश्यक है। उक्त के आलोक में अनुरोध है कि हड़ताल अवधि में अंचल कार्यालयों के सुचारू रूप से संचालन के संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।

अनुलग्नक–प्रासंगिक पत्र।

विश्वासभाजन,

9/3/26

(आजीव वत्सराज)
अपर सचिव।

ज्ञापांक –03 / स्था०रा०से०(स्थानांतरण–पदस्थापन)–86 / 2025–515 (3) / रा0, दिनांक– 09/03/2026

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

9/3/26

(आजीव वत्सराज)
अपर सचिव।

(45)

पत्रांक–03 / स्था0रा0से0(स्थानांतरण–पदस्थापन)–86 / 2025–.....23.....(3) / रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

सी० के० अनिल,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

ई–मेल

पटना–15, दिनांक–08/01/2026

विषय :– **अंचल अधिकारी के रिक्त पदों पर समाहर्त्ता द्वारा कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभार एवं शक्ति प्रदत्त करने के संबंध में दिशा–निदेश।**

प्रसंग :– **विभागीय पत्रांक–542(3) / रा0, दिनांक–21.10.2022, पत्रांक–661(3) / रा0, दिनांक–16.12.2022 एवं पत्रांक–259 / सी0, दिनांक–20.11.2024**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अंचल अधिकारी, राजस्व प्रशासन के अंचल स्तर का मूल पदाधिकारी है। इन्हें समाहर्त्ता ''Collector'' की शक्तियाँ विभिन्न अधिनियमों में निहित्त (Vest) है। इस कारण से वे अंचल स्तर के भूमि के संरक्षक (Custodian), लोक भूमि (Public land) के सुरक्षा में अभिन्न कृत्य निभाते है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी का पद रिक्त रहना राजस्व प्रशासन के लिए सर्वथा अनुचित है।

अतः अंचल अधिकारी के रिक्त पदों को समाहर्त्ता द्वारा निम्नलिखित प्रणाली से कार्यकारी व्यवस्था (Domain knowledge) के अन्तर्गत प्रभार दिया जा सकेगा :–

(क) जिस अंचल में अंचल अधिकारी का पद रिक्त है, परन्तु राजस्व अधिकारी पदस्थापित है, वहाँ राजस्व अधिकारी को प्रभारी अंचल अधिकारी का प्रभार दिया जाए।

(ख) अंचल जहाँ दोनों पद यथा–अंचल अधिकारी / राजस्व अधिकारी के पद रिक्त हो वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था के अनुरूप स्व–विवेक से समाहर्त्ता सुयोग्य, कर्मठ एवं अनुभवी अंचल अधिकारी को (जो जिला में अन्य अंचल में पदस्थापित हो) ही अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार देंगे।

(ग) विशेष परिस्थिति में आपातकालीन व्यवस्था में किसी अन्य अंचल के राजस्व अधिकारी को भी प्रभार दिया जा सकेगा। परन्तु समाहर्त्ता सकारण आदेश संचिका में पारित करेंगे।

(घ) प्रभार देने के आदेश में समाहर्त्ता यह अवश्य अंकित करेंगे कि वे ''बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम–84 में कर्मी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्तीय शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं''।

(ड़) राजस्व प्रशासन से अन्य पदाधिकारी यथा–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी / प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी / प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी इत्यादि को प्रभार देना वर्जित है।

(च) राजस्व हल्का कर्मचारी यद्यपि राजस्व प्रशासन का अभिन्न अंग है एवं अंतिम कड़ी है परन्तु इन्हें भी किसी परिस्थिति में अंचल अधिकारी का प्रभार देने में स्पष्ट निषेध है।

विश्वासभाजन,

08/01/2026

(सी० के० अनिल),
प्रधान सचिव।

O/C

(122)

3/स्था.रा.से.(विविध)-14/2025-187 (3)/रा०

पत्रांक–...../रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।

प्रेषक,

सी0 के0 अनिल, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार

पटना, दिनांकः–**02 फरवरी, 2026**

विषय :– **बिहार राजस्व सेवा संघ द्वारा दिनांक–02.02.2026 से अवकाश (हड़ताल) पर जाने के संबंध में।**

प्रसंग :– **बिहार राजस्व सेवा संघ का पत्रांक– BiRSA/25/01/52 दिनांक–01.02.2026।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राजस्व सेवा संघ के पदाधिकारीगण द्वारा कतिपय यह आवाह्न किया गया है कि बिहार राजस्व सेवा संघ के सभी सदस्य दिनांक–02.02.2026 (सोमवार) से अनिश्चितकालीन अवकाश (हड़ताल) पर जायेंगे। बिहार राजस्व सेवा संघ के सदस्य के हड़ताल पर जाने के कारण राजस्व प्रशासन का कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए निम्नलिखित कार्य किया जाए :–

क. चूंकि दिनांक–02.02.2026 (सोमवार) का दिन है एवं मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक–88 दिनांक–09.01.2026 के आलोक में सप्ताह के प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को प्रत्येक कार्यालय में जनता दरबार आयोजित करने का आदेश संसूचित है। उक्त स्थिति में अंचल मुख्यालय के वरीयतम हल्का कर्मचारी को प्रभारी अंचल अधिकारी का प्रभार दिया जाए। यहाँ BDO/RDO एवं DCLR को भी प्रभार दिया जा सकता है।

ख. चूंकि दिनांक–02.02.2026 से बिहार विधान मंडलीय बजट अधिवेशन प्रारंभ है (संसदीय कार्य विभाग अधिसूचना सं0–67 दिनांक–14.01.2026)। ऐसी स्थिति में अंचल कार्यालयों का रिक्त होना जनहित में नही है।

ग. वर्तमान में दो समानान्तर महा–अभियान ई–मापी एवं परिमार्जन प्लस/दाखिल–खारिज भी चालू है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता को देखते हुए तात्कालिक रूप से कार्यकारी व्यवस्था किया जाना व्यापक लोकहित में है।

घ. यदि कोई अतिरिक्त व्यवस्था कर्मचारी (हल्का) प्रभार से बेहतर किसी भी जिला समाहर्त्ता का सुझाव हो, तो उसे मुख्यालय को अग्रसारित करते हुए जिला में क्रियान्वित करें।

(121)

ङ. दिनांक–02.02.2026 (सोमवार) से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले अंचलाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी से डोंगल/वाहन वापस ले लिया जाए। साथ ही अंचल कार्यालय में बक्से/आलमीरा में संधारित राजस्व अभिलेखों की चाभी भी हस्तगत करा लिया जाए।

च. हड़ताल पर जाने वाले पदाधिकारियों की सेवा अवधि को No work No Pay के आधार पर परिगणित करने पर विचार किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि अनिश्चित कालीन हड़ताल की अवधि तक अंचल कार्यालयों को चलाने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।

विश्वासभाजन,

02/02/2026

(सी0 के0 अनिल)
प्रधान सचिव

गोपनीय

पत्रांक–226/C

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

सी0 के0 अनिल,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

ई–मेल

पटना–15, दिनांक–06-03-2026

विषय :– **दिनांक–09.03.2026 (सोमवार) से राजस्व पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित सामूहिक अवकाश (हड़ताल) पर जाने के आलोक में वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में।**

प्रसंग :– **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना दिनांक–05.02.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक अधिसूचना से एक समिति का गठन किया गया था, जो राजस्व पदाधिकारियों के कतिपय माँगों के बारे में विशेषज्ञ समिति के रूप में दिनांक–31.03.2026 तक अनुशंसा सरकार को देने हेतु प्राधिकृत किया गया था। उक्त अवधि के पूर्व राजस्व पदाधिकारियों द्वारा पुनः दिनांक–09.03.2026 को सामूहिक अवकाश/हड़ताल में जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के आलोक में पूर्व की भाँती निम्नलिखित कार्यकारी व्यवस्था की जाए :–

(क) विभागीय पत्रांक–187(3)/रा0 दिनांक 02.02.2026 के अनुरूप पूर्व में जो व्यवस्था की गई थी, उसी को लागू की जाए।

(ख) पूर्व निर्देशों की भाँती हड़ताल पर जाने वाले पदाधिकारियों से सभी सरकारी (Official) सामान विधिवत दिनांक–09.03.2026 के पूर्व DCLR के कार्यालय में/यदि प्रभार स्तर पर प्रखण्ड स्तर पर पदाधिकारियों को दी गई हो तो उसका प्रतिवेदन अपर समाहर्त्ता को पत्र द्वारा सूचित करेंगे।

(ग) राजस्व पदाधिकारी हड़ताल पर जाने हेतु स्वतंत्र है परन्तु T.K. Rangarajan बनाम Government of Tamil Nadu, AIR 2003 SC 3032 के अनुसार "There is no fundamental right to strike." यह Kameshwar Prasad बनाम बिहार राज्य में 1962 Suppl. 3 SCR 369" बिहार के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय नियमन दिया जा चुका है। जो संविधान अनुच्छेद–141 के अनुसार Doctrine of precedent (stare decisis) के आलोक में बाध्यकारी एवं Non-Negotiable है।

(घ) बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 के अन्तर्गत नियम–8 के तहत सरकारी सेवकों द्वारा प्रदर्शन एवं हड़ताल प्रतिबंधित है।

(ड़) जनगणना अधिनियम–1948 की धारा–11 के अनुसार कोई भी जनगणना पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करने से मना नहीं कर सकता है और न ही उसकी उपेक्षा कर सकता है अर्थात जनगणना कार्य से इनकार करना या कार्य में लापरवाही बरतना दण्डनीय है, जिससे हड़ताल या कार्य बाधित करना भी प्रतिबंधित माना जाता है।

(च) यह कि मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक–83, दिनांक–09.01.2026 के आलोक में प्रति सोमवार एवं शुक्रवार को सात निश्चय–3 के सातवें निश्चय Ease of Leaving के अनुपालन में अनिवार्य रूप से कार्यालय कक्ष में रहने का निर्देश प्राप्त होने के आलोक में सभी राजस्व पदाधिकारियों की सूक्षमता एवं Detailed उपस्थिति की समीक्षा करके राजस्व मुख्यालय (RHQ) को प्रतिवेदित किया जाए। उपस्थिति सरकारी मोबाईल पर Video Call पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(छ) दिनांक–09.03.2026 के संध्या 06 बजे सभी अनुपस्थित (हड़ताल पर) CO/RO की सूची मुख्यालय में अग्रसारित की जाए। ताकि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में जान बुझकर सरकारी कार्य में सुनियोजित दण्ड से अवरोध पैदा करने के उद्देश्य से राजस्व पदाधिकारियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई प्रारम्भ की जा सके।

अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से वैकल्पिक व्यवस्था श्रृजित करें ताकि सामान्य जनमानस को राजस्व पदाधिकारियों के सामूहिक अवकाश का कोई प्रतिकूल असर न पड़े एवं सरकार के नितियों का निश्चित समय सारणी के अनुसार क्रियान्वयन किया जा सके।

अनु0–1. T.K. Rangarajan बनाम तमिलनाडु सरकार की प्रति
2- Kameshwar Prasad बनाम बिहार सरकार की प्रति

विश्वासभाजन,
06/03/2026
(सी0 के0 अनिल),
प्रधान सचिव।